न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 34/2021

अनवान

1. भगवानी पत्नि रतनलाल जाति जाट निवासी काल्यास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पुत्र श्री भोना जाट निवासी काल्यास।
2. काना पुत्र श्री रामलाल जाट निवासी काल्यास।
3. जोधा पुत्र श्री रामलाल जाट निवासी काल्यास।
4. माधु पुत्र श्री रामलाल जाट निवासी काल्यास।
5. अम्बालाल पुत्र श्री मोहनलाल जाट निवासी काल्यास।
6. हीरालाल पुत्र श्री मोहनलाल जाट निवासी काल्यास।
7. नन्दा पुत्र श्री नानू जी जाट निवासी काल्यास।
8. श्यामलाल पुत्र श्री नानू जी जाट निवासी काल्यास।
9. प्रभूलाल पुत्र श्री नानूजी जाट निवासी काल्यास।
10. शंकरलाल पुत्र श्री नानूजी जाट निवासी काल्यास।
11. ळीरा पुत्र श्री बालूजी जाट निवासी काल्यास।
12. लादूलाल पुत्र श्री बालूजी जाट निवासी काल्यास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 02—12—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.07.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम काल्यास पटवार हल्का आमलीगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 60 की कृषि भूमि की आ.न. 125/2 रकबा 2.1749 है. आराजी नम्बर 125/4 रकबा 0.4552 है0 आराजी नम्बर 130 रकबा 0.6323 है0 आराजी नम्बर 130/1 रकबा 0.0126 है0 आराजी नम्बर 139/1 रकबा 0.1391 है0 आराजी नम्बर 140/1 रकबा 0.3288 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 3.7429 है. भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.07.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 से 12 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:55:50 IST
Reason: SelfAttested

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाते है कि **ग्राम काल्यास पटवार हल्का आमलीगढ त**[illegible]**की खाता संख्या 60 की कृषि भूमि की आ.न. 125/2 रकबा 2.**[illegible]**4 रकबा 0.4552 है0 आराजी नम्बर 130 रकबा 0.6323 है0 आराजी नम्बर 130/1 रकबा 0.0126 है**[illegible]**राजी नम्बर 139/1 रकबा 1391 है0 आराजी नम्बर 140/1 रकबा 0.3288 है0 कुल किता 06 कु**[illegible]**बा 3.7429 है. भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1500/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 02/12/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, भीलवाड़ा